न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 76 / 18

1 देवीशंकर पुत्र बिरधीलाल, उम्र 50 वर्ष
2 चन्द्रप्रकाश पुत्र बिरधीलाल, उम्र 46 वर्ष
3 महेन्द्र पुत्र बिरधीलाल, उम्र 36 वर्ष
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

वनाम

1 रमेश चन्द आत्मज गणपत नागर, उम्र 48 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
3 भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक वादीगण

दिनांक : 09.01.2020

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 89, 92–ए के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ⇨ ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 111 / 526 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 166 / 519 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 382 / 525 रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 4 की 2.45 हैक्टर वादीगण के खाते दर्ज रेकार्ड है। इसके पास लगवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 166 रकबा 0.32 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–1 रमेशचन्द आत्मज गणपत के खाते दर्ज रेकार्ड है।
   - ⇨ सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 166 / 519 रकबा 0.72 हैक्टर के रकबे को राजस्व नक्शा ट्रेस में 0.32 हैक्टर दर्शाया है तथा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 166 रकबा 0.32 हैक्टर के रकबे को राजस्व नक्शा ट्रेस में 0.72 हैक्टर दर्शाया है, जिसकी दुरूस्ती हेतु वादीगण के पिता द्वारा दिनांक 11.01.2016 को भी प्रतिवादीगण को नोटिस देकर उक्त त्रुटि को ठीक किये जाने का निवेदन किया किन्तु उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्ती नहीं किया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

AtulPrakash 9/01/2020
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

मौके पर वादीगण खसरा नं. 166 की भूमि के रकबा 0.72 हैक्टर पर काबिज है व खसरा नं. 166/519 रकबा 0.32 हैक्टर पर प्रतिवादी क्रम–1 काबिज काश्त है अर्थात खसरा नं. 166 के स्थान पर खसरा नम्बर 166/519 व खसरा नं. 166/519 के स्थान पर खसरा नं. 166 नक्शा ट्रेस में दर्शाया जाना आवश्यक है।

⇨ वादीगण की उक्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2018 को सडक एवं परिवहन विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवादी क्रम–3 के निर्देशन में सार्वजनिक विज्ञाप्ति जारी की गई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 की आराजी का वर्णन नहीं है किन्तु प्रतिवादी क्रम–3 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 की आराजी पर मुडिया गाड दी है जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 166/519 रकबा 0.72 हैक्टर के 0.32 हैक्टर पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बंर 166 रकबा 0.32 हैक्टर के रकबा 0.72 पर वादीगण काबिज काश्त है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में मौके पर गाडी गई मुड्डीयों से प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे की आराजी आती है जिसके कारण राजस्व रिकार्ड के अनुसार मुआवजा वादीगण को प्राप्त होगा तथा कब्जे काश्त की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की जायेगी। इसके कारण कोई विवाद न हो, इस बाबत वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस प्रदान किया गया।

⇨ वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से मौके पर काबिज काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना परिवर्तन करने से इंकार कर देने पर वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 01.11.2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कहने पर इंकार कर देने पर उत्पन्न हुआ।

⇨ अतः प्रार्थना है कि वादीगण के खाते दर्ज ग्राम अरलिया जागीर स्थित खसरा नम्बर 166/519 रकबा 0.72 हैक्टर के खसरा नम्बर की भूमि को नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 166 के स्थान पर दर्शाया जावे व प्रतिवादी क्रम–1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 166 रकबा 0.32 हैक्टर को नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 166/159 के स्थान पर दर्शाया जाने की घोषणा की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

⇨ वादीगण द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा से सम्बन्धित निम्न राजस्व दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : नकल जमाबन्दी खसरा नं. 166 एवं 166/519

प्रदर्श–2 : नकल नक्शा ट्रेस चालू खसरा नं. 166 एवं 166/519

प्रदर्श–3 : नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–57

प्रदर्श–4 : नकल जमाबन्दी संवत 2032–35

3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादी क्रम–1 की तलवी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 19.12.2018 को सम्मन जारी किये गये। इसके बावजूद दिनांक 14.02.2019 तक भी प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। फलस्वरूप प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

Chandraprakash 9/9/2020
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर सम्बन्धित तहसीलदार, तहसील लाडपुरा से प्रकरण की विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट चाही गई, फलस्वरूप न्यायालय को अवगत कराया गया कि

(i) वर्तमान जमाबन्दी ग्राम अरलिया जागीर (2070–73) खाता सं. 182 के खसरा नम्बर 166 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि खातेदार रमेशचन्द पुत्र गणपतलाल धाकड के तथा खसरा नम्बर 166/519 रकबा 0.72 हैक्टर भूमि खातेदारान देवीशंकर, चन्द्रप्रकाश, महेन्द्र पुत्रान बिरधीलाल धाकड के खाते दर्ज रेकार्ड है।

(ii) राजस्व नक्शा लट्ठा व मौका अनुसार खसरा नम्बर 166 पर देवीशंकर, चन्द्रप्रकाश, महेन्द्र पुत्रान बिरधीलाल धाकड 0.72 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है जबकि खसरा नम्बर 166/519 पर रमेशचन्द पुत्र गणपतलाल धाकड 0.32 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार उलट खसरा नम्बर पर काबिज काश्त है।

(iii)
- राजस्व नक्शे में अंकित खसरा नम्बर की रकबा बराबरी व मौका स्थिति अनुसार खसरा नं. 166 का रकबा लगभग 0.72 हैक्टर एवं खसरा नं. 166/519 का रकबा लगभग 0.32 हैक्टर बनता है जबकि रेकार्ड में खसरा नं. 166 का रकबा 0.32 हैक्टर व 166/510 का रकबा 0.72 हैक्टर दर्ज है।
- राजस्व नक्शे में दोनों खसरा नम्बर 166 व 166/519 का दृष्टिगत अवलोकन से भी अन्तर स्पष्ट होता है कि स्थिति उलट है, बडे आकार का क्षैत्रफल कम व कम आकार का क्षैत्रफल अधिक।
- इस प्रकार मौके अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर नम्बर 166 में देवीशंकर, चन्द्रप्रकाश, महेन्द्र पुत्रान बिरधीलाल धाकड कृषि कर रहे है तथा लगभग 0.72 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 166/519 पर रमेशचन्द पुत्र गणपतलाल धाकड कृषि कर रहा है, जो लगभग 0.32 हैक्टर पर काबिज काश्त है। इस प्रकार नक्शे में खसरा नम्बर उल्टै दर्ज हो रहे है।

(iv) गजट नोटिफिकेशन दिनांक 28.02.2019 अनुसार खसरा नम्बर 166 की 0. 2282 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 166/519 की 0.3477 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। बिन्दु संख्या (iii) के अनुसार अन्तर होगा।

4: वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 166 एवं 166/519 को राजस्व नक्शा में रकबा अनुसार नहीं दर्शाया गया है जो दुरूस्त किया जावे। इस हेतु तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट पर अभिभाषक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई।

5. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार, लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण द्वारा

Atul Prakash 9/01/2020
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Scanned by CamScanner

राजस्व नक्शा की त्रुटि बाबत जो अनुतोष चाहा गया है उसकी, प्रकरण में प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट से पुष्टि हो रही है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी के मौके की स्थिति के अनुरूप नक्शा ट्रेस में खसरा नं. 166 के स्थान पर खसरा नम्बर 166/519 व खसरा नं. 166/519 के स्थान पर खसरा नं. 166 नक्शा ट्रेस में दर्शाया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09 जनवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

AtulPrakash 09/01/2020

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

इउनवान :–

1 चन्द्रप्रकाश आत्मज बिरधीलाल, उम्र 46 वर्ष
2 महेन्द्र आत्मज बिरधीलाल, उम्र 36 वर्ष
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (वादीगण)

बनाम

1 नन्दलाल आत्मज धन्नालाल, उम्र 57 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89, 92,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 76 / 18
निर्णय दिनांक : 09-01-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 09–01–2020 को पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी के मौके की स्थिति के अनुरूप नक्शा ट्रेस में खसरा नं. 166 के स्थान पर खसरा नम्बर 166 / 519 व खसरा नं. 166 / 519 के स्थान पर खसरा नं. 166 नक्शा ट्रेस में दर्शाया जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 09 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Atulprakash 09/01/2020
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner